(87)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक– /2012/निगरानी – 1429 II /12

रूपसिंह पुत्र श्री बट्टूसिंह दांगी, आयु–60वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी–ग्राम नरखेड़ा तहसील मुंगावली जिला अशोक नगर (म0प्र0)

-----आवेदक

बनाम

हारुन्न खाँ पुत्र जनाव मुवीन खाँ, जाति–मुसलमान, निवासी–ग्राम नरखेड़ा तहसील मुंगावली जिला अशोक नगर (म0प्र0)

-----अनावेदक

निगरानी आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 03.05.12 पारित न्यायालय नायव तहसीलदार मुंगावली जिला अशोक नगर

प्रकरण क्रमांक–3/अ–70/10–11/निगरानी

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1– यहकि, ग्राम नरखेड़ा तहसील मुंगावली में स्थित सर्वे नम्बर–336/2 रकवा 1.881 हैक्टेयर भूमि आवेदक के स्वत्व, एवं स्वामित्व तथा आधिपत्य की होकर सरकारी अभिलेख में दर्ज होकर चली आ रही हैं।

I/D/RF/Legal/154

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./1429/दो/2012 जिला अशोकनगर

रूपसिंह विरूद्ध हारून्न खां

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार मुंगावली, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 3/अ-70/2010-11/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 03/05/2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 05/8/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	